

न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी—श्री गिराज प्रसाद बंसल तहसीलदार बयाना)

प्र0स0 59/2019 ता0 रजु. 03.10.2019 किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक 09.10.19

सरकार

बनाम

दूल्हेराम पुत्र परभाती जाति धाकड़ निवासी ब्रह्मबाद तह0 बयाना जिला—भरतपुर।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का ब्रह्मबाद ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम ब्रह्मबाद के खसरा न0 391/1 रकवा 0.77 हैक्ट में से रकवा 0.16 हैक्ट किस्म भूमि चारागाह पर सम्वत 2076 में श्री दूल्हेराम पुत्र परभाती जाति धाकड़ निवासी ब्रह्मबाद तह0 बयाना ने बाजरा कर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव पेश किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 391/1 रकवा 0.16 हैक्ट वाके ग्राम ब्रह्मबाद से बेदखल किया जाता है। लगान 2.56 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 128 रुपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी0आर0ए0 हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी हल्का एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस पत्रावली को वाग सामना
वा. नं. 04 के पत्र नं. 15
दिनांक 11.10.19 का वर्ष 2019-20
वेबस्टो रु. 128 फसल नीलामी
को जा चुको है।

बहसीम राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना

तहसीलदार
बयाना (भरतपुर)

